पंजीयन अधिसूचना

सत्र

जनवरी – 2020

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15,1990 द्वारा स्थापित)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

बी–38, विकास भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन–1, **भोपाल (म.प्र.)** 462011

दूरभाष – (0755) 2574519

क्रमांक/2020/पंजीयन/...177 दिनांकः 29 जनवरी 2020

पंजीयन अधिसूचना

सत्र जनवरी 2020 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्र पंजीयन

सत्र जनवरी 2020 में विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित **डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए.** पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों के पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से **ऑनलाइन** भरे जावेंगे। प्रवेशार्थियों के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम/दिशा– निर्देश निर्धारित एवं अधिसूचित किए जाते हैं।

फार्म भरने की प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी प्रवेशार्थियों के पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से दिनांक **01.02.2020 से 29.02.2020** सायं 5.30 बजे तक ही भरे जा सकेंगे। पंजीयन शुल्क का भुगतान भी एम.पी. ऑनलाइन लि. के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. ऑनलाइन पंजीयन फार्म (भरे हुए एवं शुल्क भुगतान किए गए फार्म) का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिथि दिनांक **07.03.2020 तक** विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।

3. **ऑनलाइन प्रक्रिया–**

3.1 पंजीयन फार्म में वांछित सभी प्रविष्ठियाँ सत्य एवं सही भरी जावें, कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ा जावे। प्रवेशार्थी का नवीनतम फोटो (साइज अधिकतम 200 KB) एवं उसके हस्ताक्षर ऑनलाइन फार्म में निर्धारित बॉक्स में स्कैन कर अपलोड किए जावें।

3.2 ऑनलाइन फॉर्म में प्रवेशार्थियों की प्रविष्ठियाँ अर्हता परीक्षा अनुसार ही भरना सुनिश्चित किया जावे। प्रविष्ठियों में मतभेद की स्थिति में (जैसे नाम, माता–पिता का नाम एवं जन्मतिथि) हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2पद्धति) उत्तीर्ण अंकसूची को अंतिम माना जावेगा।

3.3 ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व, सभी प्रविष्ठियों की एवं अपलोड किए गए फोटो की जाँच कर, संबंधित छात्र से पुष्टि करवाकर, त्रुटियों का सुधार कर लिया जावे।

3.4 ऑनलाइन फार्म भरने के साथ–साथ प्रवेशार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम में पंजीयन के लिए निर्धारित अर्हता / पात्रता अंकसूची की स्कैन प्रति को अनिवार्यतः अपलोड किया जाए।

3.5 प्रत्येक ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के साथ प्रति फार्म पंजीयन शुल्क रू.1250/–(रू. एक हजार दो सौ पचास मात्र) विश्वविद्यालय को देय है। नियमानुसार पोर्टल शुल्क एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड को देय होगा। नियमानुसार GST शुल्क भी देय होगा। पोर्टल शुल्क एवं GST अध्ययन संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जावेगा, इसे विद्यार्थियों से संस्थाएँ कदापि न लें।

3.6 पंजीयन फार्म भरने की पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् ही ऑनलाइन पंजीयन फार्म जमा (Submit) किया जावे।

3.7 ऑनलाइन पंजीयन फार्म जमा (Submit) हो जाने के पश्चात प्रत्येक पंजीयन फार्म का रिपोर्ट सेक्शन से प्रिन्टआउट (हार्डकॉपी) निकाला जाए, उसे सत्यापित कराते हुए निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी से हस्ताक्षरित कराया जाए।

3.8 छात्र द्वारा हस्ताक्षरित फार्म को संस्था प्रभारी द्वारा जांचा जाए, इसके उपरांत संस्था प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगाकर सत्यापित / प्रमाणित किया जाए।

3.9 संबंधित विद्यार्थी के अर्हता / पात्रता दस्तावेजों को छात्र एवं संस्था द्वारा सत्यापित / प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाए। विद्यार्थियों के आवश्यक अर्हता / पात्रता संबंधी एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ठ (Annexure-A) के अनुसार संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया विश्वविद्यालय का **आदेश क्रमांक 2324 / अका. / 2019 दिनांक 04 / 11 / 2019 देखें** तथा पालन सुनिश्चित करें।

3.10 डी.सी.ए तथा पी.जी.डी.सी.ए. के फार्म पृथक–पृथक सेट के रूप में तैयार किए जाएँ। प्रत्येक (पाठ्यक्रम के) सेट में उस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की सूची संलग्न करें, सूची आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) के अनुक्रम में हो। प्रत्येक नामांकन फार्म प्रिंटआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें। प्रत्येक पाठयक्रम (सेट) के लिए कवरिंग लैटर एवं लिफाफा अलग–अलग हो और लिफाफे पर संबंधित पाठ्यक्रम का नाम स्पष्ट अंकित हो।

लिफाफे का नमूना इस प्रकार है:–

प्रति,
प्रभारी (............... पाठ्यक्रम)
C/O सहायक कुलसचिव (पंजीयन)
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
बी–38, जोन –1, एम.पी. नगर,भोपाल –462011

यदि अध्ययन संस्था सभी पाठ्यक्रमों के फार्म एक साथ एक सेट में भेजती है तो फार्म पृथक करने तथा पृथक्कीकरण के समय किसी फार्म के गुमने (Misplace होने) के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

3.11 संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ ऑनलाइन भरे गए समस्त पंजीयन फार्म के प्रिन्ट आउट समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ **"सहायक कुलसचिव (पंजीयन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी–38, जोन –1, एम.पी. नगर,भोपाल –462011"** के नाम से भेजना सुनिश्चित करें। लिफाफे पर 'पंजीयन फार्म व पाठ्यक्रम का नाम' अवश्य अंकित करें।

3.12 जिन प्रवेशार्थियों के पंजीयन फार्म ऑनलाइन नहीं भरे जावेंगे अथवा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान नहीं होगा, उनके पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Application No., Transaction ID एवं Bar Code जनरेट हुआ है) पंजीयन फॉर्म ही जमा माने जाएंगे।

3.13 उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3.1 से 3.10 के अनुसार तैयार पंजीयन फार्म को नियत अंतिम तिथि तक स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय पहुँचाने का दायित्व अध्ययन संस्था का है। नियमानुसार फार्म प्राप्त न होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है। **कृपया ई.मेल से दस्तावेज न भेजें।**

4. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दें। जो संस्थाएँ नो एडमिशन केटेगरी (No Admission Category) में रखी गई हैं उनसे पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

5. विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि में छूट प्रदान नहीं होगी। अतः अध्ययन संस्थाएँ **अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें।** एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू होते ही ऑनलाइन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में पंजीयन फॉर्म भरने अथवा जमा करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड में टॉप–अप संबंधी समस्या अथवा अन्य कारण से हुए विलंब के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या हो तो कृपया एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक **0755–6720200** पर संपर्क करें।

6. अध्ययन संस्था का दायित्व है कि प्रथम बार में ही छात्रों के संपूर्ण वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में नियत तिथि तक जमा करें। संस्थाओं के लॉग–इन पर पंजीयन आपत्ति वाले छात्रों की सूची (प्रारंभिक जांच के आधार पर) प्रदर्शित की जायेगी। आपत्ति सूची में दर्शाये गए वांछित दस्तावेजों की पूर्ति अध्ययन संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक न करने की दशा में संबंधित छात्र का पंजीयन अस्वीकृत किया जायेगा।

7. पंजीयन के समय विद्यार्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि प्रवेश देने से पूर्व विद्यार्थियों की निर्धारित अर्हता/पात्रता सुनिश्चित कर लें। पात्र विद्यार्थियों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली–भांति जांच करने के उपरांत ही प्रवेश दें तथा सत्य जानकारी ही पंजीयन फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें।

8. प्रवेशार्थी का किसी पाठयक्रम में पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा होने/भुगतान होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पंजीयन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात पंजीयन शुल्क वापस अथवा समायोजित नहीं होगा। पंजीयन आपत्ति प्रकरणों में दस्तावेजो की वांछित पूर्ति न होने की दशा में अस्वीकृत किए गए पंजीयन हेतु भी पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्त शुल्क वापसी की जिम्मेदारी अध्ययन संस्था की होगी।

9. सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के साथ पात्रता अंकसूची ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची की छायाप्रति संलग्न कर एकसाथ जमा करना आवश्यक है।

10. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय रेग्यूलेशन क्रमांक 18, 2008 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ति के परीक्षण/पुष्टि का पूर्ण दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी का है। कृपया विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 देखें तथा पालन सुनिश्चित करें।

11. पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा। 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र ने कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तब ही न्यूनतम योग्यता मानकर ऐसे छात्र का पंजीयन किया जा सकेगा।

12. मानव संसाधन मंत्रालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/AIU/UGC/NIOS द्वारा गठित अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही पंजीयन फॉर्म स्वीकृत किया जावेगा।

13. अध्ययन संस्था का दायित्व है कि वह बोर्ड /विश्वविद्यालय की मान्यता/प्रामाणिकता का सावधानी से परीक्षण करे एवं गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान के विद्यार्थियों का पंजीयन फार्म जमा न करे। कुछ अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की सूचना क्र./अका./2020/171 दिनांक 28/01/2020 द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

14. विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा/उपाधि की समकक्षता को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हता परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने का दायित्व एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा पंजीयन स्वीकृत करने/न करने के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं मान्य होगा।

15. कृपया Annexure-A देखें। डिप्लोमा (Diploma) पाठ्यक्रमों के लिये केवल पात्रता संबंधी दस्तावेज /अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे।

16. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त किये बिना अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश न दिया जावे। अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध नियम Regulation No.19 देखें एवं इसका पालन सुनिश्चित करें।

17. जिन सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं से समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के पंजीयन फॉर्म बिंदु क्रमांक–2 के अनुसार नामांकन शाखा में अंतिम तिथि तक एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं, उन संस्थाओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही संबद्ध अध्ययन संस्थाऍ विभाग द्वारा की जा सकेगी। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त पंजीयन फार्म की जांच तथा पंजीयन क्रमांक जनरेट करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं है।

18. किसी भी विद्यार्थी के पात्रता दस्तावेजों में संदेह की स्थिति में नामांकन विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सम्बद्ध अध्ययन संस्था से विद्यार्थी के मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

19. पंजीयन फार्म में अपूर्ण ,असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाने अथवा इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में अध्ययन संस्था/विद्यार्थी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, इस दशा के लिए संस्था/विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

20. छात्र का पंजीयन फार्म आनलाइन जमा होने के उपरांत, यदि उसका प्रिंटआउट तथा पंजीयन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं /अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो **संबंधित छात्र को प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।** पंजीयन आपत्ति वाले छात्रों का **पंजीयन फार्म अस्वीकृत करने का/पंजीयन निरस्त करने का/प्रथम सेमेस्टर प्रवेश पत्र रोकने का/किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम घोषणा रोकने (Witheld)** का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

21. जिन प्रवेशार्थियों के पंजीयन क्रमांक जनरेट नहीं किए जाते हैं, उनके पंजीयन आवेदन फार्म स्वतः ही निरस्त हो जाऐंगें।

22. नामांकन/पंजीयन फार्म/रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों के सुधार के संशोधित नियम अधिसूचना क्रमांक नामांकन/2020/ 41 दिनांक 07/01/2020 के द्वारा अधिसूचित किये गये हैं। पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा (Submit) होने के उपरांत यदि छात्र या माता–पिता के नाम/सरनेम/जन्मतिथि/हस्ताक्षर/फोटो की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो अध्ययन संस्थाएँ त्रुटि सुधार अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क/दस्तावेजों के साथ त्रुटि सुधार आवेदन कर सकती हैं। बशर्ते चाहा गया त्रुटि सुधार इस अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 3.2 एवं आदेश क्रमांक /परीक्षा –1/2016/4073 दिनांक 06/04/2016 (कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूचियों में विद्यार्थी के पिता/पति के स्थान पर भविष्य में केवल पिता के नाम की प्रविष्ट की जाएगी), अनुसार हो।

23. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/सूचनाएँ/अधिसूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए (प्रकाशित) निर्देश/सूचना/अधिसूचनाओं को औपचारिक रूप से घोषित माना जाएगा। अध्ययन संस्थाओं को डाक द्वारा प्रति भेजने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है। सभी अध्ययन संस्थाओं से विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं स्वयं के लॉग–इन का नियमित अवलोकन करने की अपेक्षा की जाती है।

24. विश्वविद्यालय के PGDCA, DCA डिप्लोमा अंशकालिक नियमित पाठ्यक्रम हैं एवं इनमें छात्र पंजीयन किया जाता है।

25. पंजीयन संबंधी सहायता के लिए सहायक कुलसचिव (पंजीयन) के दूरभाष क्रमांक 0755–2574519 अथवा ई–मेल **enroll@mcu.ac.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

26. नामांकन सत्र जनवरी 2020 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पंजीयन सीरीज़ निम्नानुसार होगीः–

- पीजीडीसीए – 20W16
- डीसीए – 20W17

संलग्नः– अर्हता एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ठ– Annexure"A")

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

पृ. क्र. / 2020 / पंजीयन /

दिनांकः 29 जनवरी 2020

प्रतिलिपिः– 178

1. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि., भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
9. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in) पर ऑनलाइन प्रकाशित।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित पात्रता (Eligibility) एवं अधिसूचना के बिंदु क्र.–3.9 के अनुसार दस्तावेजों की सूची

स.क्रं. S.No.	पाठ्यक्रम (Course)	पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	वांछित पात्रता (Eligibility)	जमा करने वाले दस्तावेज (Documents to be submitted) पात्रता अंकसूची की सत्यापित छाया प्रति (Attested Photo copy of Marksheet)
	1	2	3	4
1.	**P.G.D.C.A** Post Graduate Diploma in Computer Applications	16	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet
2.	**D.C.A** Diploma in Computer Applications	17	10+2 Or equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Institution	As per Column No.3 1. Marksheet

नोट–

- प्रत्येक विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक एक निश्चित अवधि के लिए वैध होगा। एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक पंजीयन क्रमांक वैध होगा।
- एक पंजीयन सत्र में किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र का एक ही ऑनलाइन पंजीयन फार्म स्वीकार्य होगा तथा एक ही पंजीयन नम्बर जनरेट (जारी) किया जाएगा।
- एक बार ऑनलाइन पंजीयन फार्म Submit होने के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति में उस फार्म के सम्पूर्ण डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- सत्र जनवरी 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक /पंजीयन/2019/1335 दिनांक 20/05/2019 के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।
- सत्र जुलाई 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक/अका./2020/171 दिनांक 28/01/2020 के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- नामांकन व्यवस्था की प्रकिया में सुधार हेतु आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 प्रसारित किया गया है। **इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।**
- ऑनलाइन पंजीयन फार्म में छात्र का वास्तविक ई.मेल आई.डी. एवं पंजीकृत मोबाईल नंबर प्रविष्ठ किया जाना अनिवार्य है।
- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित National Academic Depository (NAD) से निर्देश हैं कि समस्त छात्रों का NAD पर पंजीयन किया जाना आवश्यक है। कृपया इस संबंध में विश्वविद्यालय की सूचना क्र. नामांकन/2019/755 भोपाल दिनांक 08/08/2019 देखें।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / 2324 / अका. / 2019 दिनांक 04 / 11 / 2019

आदेश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के नामांकन फार्म निर्धारत तिथि तक जमा न करने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रियागत सुधार कर नामांकन व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

1. परीक्षा फार्म की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करने एवं प्रतिपरीक्षण करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक विभाग के कार्यालय सहायक की रहेगी एवं परीक्षा शाखा द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के परीपालन विभागाध्यक्ष के माध्यम से करने का दायित्व भी कार्यालय सहायक का होगा।
2. प्रवेश के समय किसी भी कारण से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची जमा न करने की स्थिति में समय समय पर छात्रों को उक्त की पूर्ति हेतु अवगत करवाने, उक्त के अभाव में संबंधित छात्र का नामांकन विश्वविद्यालय में दर्ज न होने तथा इस कारण परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाने की जानकारी संबंधित विद्यार्थी एवं उसके पालकों को देने का दायित्व विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों हेतु विभागीय कार्यालय सहायक तथा संबंद्व अध्ययन संस्थाओं के विद्यार्थीयों के संबंध में संबंधित, संबद्व अध्ययन संस्था के निदेशक का रहेगा।
3. शैक्षणिक विभागों द्वारा आधे-अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र अधूरे प्रपत्रों के साथ किसी भी स्थिति में नामांकन विभाग में न भेजे जांए।
4. नामांकन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण की गई परीक्षा के अंकसूची की छायाप्रति संबंधित विद्यार्थी एवं विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित शिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
5. अर्हता शैक्षणिक योग्यता संबंधी उत्तीर्ण की गई सभी सत्रों की परीक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति तथा अंतिम सत्र की नेट से प्राप्त अंकसूची संबंधित महाविद्यालय/संस्थान से प्रमाणित करवाकर अथवा प्रोवीजनल प्रमाण-पत्र के साथ नामांकन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. वर्तमान परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के पूर्व विगत उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संबंधित छात्र से प्राप्त कर नामांकन विभाग में जमा करने का दायित्व संबंधित शैक्षणिक विभाग के कार्यालय सहायक का रहेगा, इसके पैरिपालन की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार
(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / अका. / 2020 / 171 भोपाल, दिनांक : 28 / 01 / 2020

अधिसूचना

(अमान्य / फर्जी बोर्ड एवं विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अकादमिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन फार्म अध्ययन संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं। अमान्य / फर्जी बोर्ड एवं अमान्य / फर्जी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों की अंकसूचियाँ स्वीकार नहीं की जाती हैं एवं ऐसे नामांकन फार्म निरस्त किये जाते हैं।

कुछ प्रकरणों में देखने में आया है कि औपचारिक नामांकन अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश होने के वावजूद संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ फर्जी / अमान्य बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश दे देती हैं एवं नामांकन अधिसूचना का उल्लंघन करती हैं। अध्ययन संस्थाएँ अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि वे इन्टरनेट पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त कर, अपने स्तर पर ही अंकसूचियों का परीक्षण करें तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय के छात्रों का ही नामांकन फार्म भरना सुनिश्चित करें। जहां आवश्यक हो, समकक्षता / मान्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नामांकन फार्म भरने के पूर्व ही विश्वविद्यालय से निर्णय प्राप्त करें।

मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सूचियाँ तथा अमान्य / फर्जी बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की सूचियाँ मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्थाओं की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अध्ययन संस्थाओं की सुविधा के लिए कुछ फर्जी / अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की सूचियाँ (सत्र जुलाई 2019 के नामांकन फार्म के परीक्षण आधारित) इस सूचना के साथ संलग्न है। संलग्न सूचियाँ अंतिम सूचियाँ नहीं हैं। इन सूचियों के अतिरिक्त भी ऐसे बोर्ड एवं विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त सूचियों में नहीं हैं, को विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है।

इस निर्देश का पालन न होने की दशा में, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय एवं उत्पन्न परिस्थिति के लिए संबद्ध अध्ययन संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार। आदेशानुसार

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

क्रमांक / 172 / अका. / 2020 दिनांक 28 / 01 / 2020
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, कुलपति, कुलाधिसचिव, कुलसचिव को सूचनार्थ प्रेषित
2. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्था की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट की ओर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.) 462011, फोन (0755) 2553523 फैक्सः (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011,
Phone- (0755) 2553523 Fax-07552551641,Website; www.mcu.ac.in

UNRECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES NOT CONSIDERED FOR ENROLLMENT IN JULY 2019 SESSION

S.No	BOARD / UNIVERSITY NAME	REASON
1	ACN INTERNATIONAL UNIVERSITY (RAIPUR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
2	ADHYATMIK VISHWAVIDYALAYA (SPIRITUAL UNIVERSITY), ROHINI (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
3	ADR-CENTRIC JURIDICAL UNIVERSITY (NEW DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
4	AKHIL BHARTIYA OPEN SCHOOLING, ROHTAK (HARYANA)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
5	AKHIL BHARTIYA SHIKSHA SANSTHAN (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS/UNIVERSITIES LIST
6	ALL INDIA BOARD OF SECONDARY EDUCATION (GAZIPUR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
7	ALL INDIA BOARD OF / FOR SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
8	ALL INDIA TRADE TEST (AITT) (अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा) ITI	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 25/05/19
9	ALL INDIA BOARD FOR EDUCATION TRAINING (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
10	ALL INDIA COUNCIL FOR OPEN EDUCATION (NEW DLEHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
11	ALL INDIA COUNCIL OF OPEN SCHOOLING (AICOS) (WEST BENGAL)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
12	ASSAM SANSKRIT BOARD	EQUIVALANCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
13	BHARTIYA SHIKSHA PARISHAD, LUCKNOW, UP - THE MATTER IS SUBJUDICE BEFORE THE DISTRICT JUDGE – (LUCKNOW)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
14	BHARTIYA VIDHYA BHAVNAM (MUMBAI)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
15	BHARTIYA MADHYAMIK SHIKSHA PARISHAD (U.P.)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
16	BOARD OF SECONDARY EDUCATION (MAHARASHTRA)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
17	BOARD OF SECONDARY EDUCATION (DELHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
18	BOARD OF ADULT EDUCATION AND TRAINING (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
19	BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST DELHI FAKE BOARD NEWS
20	BOARD OF SCHOOL & TECHNICAL EDUCATION (CHHATISGARH)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
21	BOARD OF SECONDARY EDUCATION , MADHYA BHARAT (GWALIOR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
22	BOARD OF YOUTH EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST

UNRECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES NOT CONSIDERED FOR ENROLLMENT IN JULY 2019 SESSION

S.No	BOARD / UNIVERSITY NAME	REASON
23	BOARD OF EDUCATION FOR SENIOR SECONDARY & TECHNOLOGY (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
24	BOARD OF HIGHER SECONDARY OPEN EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
25	BOARD OF OPEN LEARNING SCHOOL (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
26	BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
27	BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY OPEN EDUCATION (W. B.)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
28	BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
29	BOARD OF TECHNICAL AND SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
30	BOARD OF SECONDARY, HIGH SECONDARY & VOCATIONAL EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
31	BADAGANVI SARKAR WORLD OPEN UNIVERSITY EDUCATION SOCIETY, BELGAUM (KARNATAKA.)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
32	BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION (LUCKNOW) (उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
33	CENTRAL BOARD OF HIGHER EDUCATION,UTTAM NAGAR (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
34	CENTRAL BOARD OF HIGHER EDUCATION ,EAST PATEL NAGAR (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
35	CENTRAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING (DELHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
36	CENTRAL BOARD OF EDUCATION (AJMER)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
37	CENTRAL BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
38	CHHATISGARH SANSKRIT VIDHYAMANDALAM , RAIPURAM (C.G.)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
39	COUNCIL OF SECONDARY & SR.SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
40	COUNCIL OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	DELHI FAKE BOARD NEWS
41	COMMERCIAL UNIVERSITY LTD., DARYAGANJ (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
42	COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION (MOHALI) / COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION BOARD (MOHALI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST MHRD LETTER F.NO.10-9/2017 SCH.3 DATED 05/02/18
43	COUNCIL FOR HIGHER AND SENIOR SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
44	COUNCIL FOR THE INDIAN CERTIFICATE EXAMINATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
45	COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST

UNRECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES NOT CONSIDERED FOR ENROLLMENT IN JULY 2019 SESSION

S.No	BOARD / UNIVERSITY NAME	REASON
46	CHRIST NEW TESTAMENT DEEMED UNIVERSITY, KAKUMANUVARITHOTO / SRINAGAR, GUNTUR (ANDHRA PRADESH)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
47	DELHI ACADEMIC COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
48	DELHI BOARD OF SECONDARY EDUCATION	DELHI FAKE BOARD NEWS
49	DELHI BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION	DELHI FAKE BOARD NEWS NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
50	DELHI SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
51	DOON INTERNATIONAL UNIVERSITY (RAIPUR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
52	DR.RAMGOPALA CHARYA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA ETAH (U.P.)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
53	GANDHI HINDI VIDYAPITH, PRAYAG, ALLAHABAD (UTTAR PRADESH)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
54	GRAMIN MUKT VIDHYALAYI SHIKSHA SANSTHAN (DELHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 07/03/19 DELHI FAKE BOARD NEWS
55	GURUKUL VISHWAVIDYALAYA (VRINDAVAN)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
56	HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD (DELHI)	DELHI FAKE BOARD NEWS
57	HINDI SAHITYA SAMMELAN (ALLAHABAD)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
58	INDIAN ARMY / EX-SERVICEMEN GRADUATION CERTIFICATE	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 25/05/19
59	INSTITUTE OF ALTERNATIVE MEDICINE AND RESEARCH (KOLKATTA)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
60	INTERMEDIATE COUNCIL OF SCHOOLING EDUCATION , JALANDHAR (PUNJAB)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
61	INTERMEDIATE COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION ,UTTAMNAGAR (N.DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
62	INDIAN INSTITUTE OF ALTERNATIVE MEDICINE (KOLKATTA)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
63	INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND ENGINEERING (NEW DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
64	INDIAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION (UTTAR PRADESH)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
65	INDIAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
66	INDIAN COUNCIL OPEN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (MAHARASTHRA)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
67	INDRAPRASTHA SHIKSHA PARISHAD, NOIDA (UTTAR PRADESH)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
68	KESARWANI VIDYAPEETH (JABALPUR)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST

UNRECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES NOT CONSIDERED FOR ENROLLMENT IN JULY 2019 SESSION

S.No	BOARD / UNIVERSITY NAME	REASON
69	JAMIA URDU (ALIGARH) / BEGUSARAI (BIHAR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST DECISION OF V.C. DATED 14/09/16
70	JHARKHAND STATE OPEN SCHOOL (RANCHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
71	MADHYANCHAL MUKT VIDYALAYA SHIKSHA SANGTHAN (SHAJAPUR (M.P.)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 02/04/19
72	MAHARANA PRATAP SHIKSHA NIKETAN VISHWAVIDYALAYA, PRATAPGARH (U.P)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
73	MADHYAMIK SHIKSHA PARISHAD OF U.P. AND DELHI	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
74	MAHAKOSHAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (JABALPUR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
75	MAHASHAKTI SANSKRIT VIDYAPEETH (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
76	MAHATMA GANDHI SECONDARY AND SENIOR SECONDARY EDUCATION BOARD (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
77	MUMBAI HINDI VIDYAPEETH (MUMBAI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
78	MAHILA GRAM VIDYAPITH / VISHWAVIDYALAYA, (WOMEN'S UNIVERSITY) PRAYAG (ALLAHABAD)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
79	MEDICAL BOARD OF ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINES (NEW DELHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 25/05/19
80	MAITHILI UNIVERSITY, DARBHANGA (BIHAR)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
81	NABABHARAT SHIKSHA PARISHAD (ROURKELA)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
82	NATIONAL OPEN SCHOOL AND BOARD OF SECONDARY OPEN EDUCATION (DELHI)	DELHI FAKE BOARD NEWS
83	NATIONAL BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
84	NATIONAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
85	NATIONAL UNIVERSITY OF ELECTRO COMPLEX HOMEOPATHY, KANPUR (U.P)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
86	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE UNIVERSITY (OPEN UNIVERSITY) ,ALIGARH (U.P)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
87	NORTH ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY (ODISHA)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
88	RAJA ARABIC UNIVERSITY, NAGPUR (MAHARASHTRA.)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
89	RAJKIYA INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING ,UTTAR PRADESH (LUCKNOW)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST NEWS ABOUT FAKE STATUS ON INTERNET
90	RURAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
91	SHIKSHA PARISHAD MADHYAMIC (GWALIOR)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
92	STATE COUNCIL OF SENIOR SECONDARY OPEN EDUCATION (DELHI)	DELHI FAKE BOARD NEWS

UNRECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES NOT CONSIDERED FOR ENROLLMENT IN JULY 2019 SESSION

S.No	BOARD / UNIVERSITY NAME	REASON
93	SREE BODHI ACADEMY OF HIGHER EDUCATION (PUDUCHERRY)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
94	ST. JOHN'S UNIVERSITY, KISHANATTAM (KERALA.)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
95	SWA.SANSKRIT VIDYAPEETH AKHIL BHARTIYA DOORVARTI SHIKSHAN SANSTHAN (BHOPAL)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
96	SWAMI VIVEKANAND BOARD OF SECONDARY EDUCATION (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
97	THE CENTRAL BOARD OF HIGHER EDUCATION (NEW DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST DELHI FAKE BOARD NEWS
98	THE CENTRAL BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION (DELHI)	DELHI FAKE BOARD NEWS
99	THE INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS (INDIA)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
100	THE INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA)	NOT IN RECOGNIZED BOARD LIST
101	THE COUNCIL OF BASIC AND TECHNINAL EDUCATION (LUDHIANA)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
102	UCCHATAR MADYAMIK SHIKSHA MANDAL (DELHI)	NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST
103	UNITED NATIONS UNIVERSITY (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
104	URDU EDUCATION BOARD (NEW DELHI)	EQUIVALENCE COMMITTEE MINUTES DATED 07/03/19 NIOS NON- RECOGNIZED BOARDS / UNIVERSITIES LIST DELHI FAKE BOARD NEWS MHRD LETTER F.NO. 16 -227/2016 SCH.3 DATED 05/06/17
105	UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL (LUCKNOW)	LUCKNOW NOT RECOGNIZED
106	UTTAR PRADESH VISHWAVIDYALAYA, KOSI KALAN, MATHURA (U.P)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
107	VARANASEYA SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA, VARANASI (UP) / JAGATPURI (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
108	VISWAKARMA OPEN UNIVERSITY FOR SELF-EMPLOYMENT (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST
109	VOCATIONAL UNIVERSITY (DELHI)	UGC FAKE UNIVERSITY LIST

Note: More such Institutions can be added once MCNUJC gets to know about them authoritatively.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

नामांकन / 2020 / क्रमांक / 41 भोपाल, दिनांक 07 / 01 / 2020

अधिसूचना

अंकसूची में त्रुटि सुधार
(संशोधित नियम)

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों (UTD) तथा अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्र नामांकन / पंजीयन फार्म को ऑनलाइन अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चत करें कि वांछित सभी प्रविष्ठियाँ सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। छात्रों के नाम परिवर्तन / वर्तनी में सुधार के संशोधित नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं।

1. यदि नामांकन / पंजीयन फार्म की प्रविष्ठि यथा छात्र / माता / पिता / पति के अंग्रेजी या हिन्दी नाम, सरनेम की वर्तनी (spelling) अथवा फोटो / हस्ताक्षर में त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए निम्नलिखित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

   - शुल्क रू.**500 / प्रति अंकसूची** बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन के माध्यम से।
   - डी.सी.ए. तथा स्नातक पाठ्यक्रमों की अंकसूची में वर्तनी (spelling) में त्रुटि सुधार हेतु हायर सेकेण्ड्री (10+2) की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है।
   - पी.जी.डी.सी.ए. तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंकसूची में वर्तनी (spelling) में त्रुटि सुधार हेतु स्नातक की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है।
   - फोटो संशोधन हेतु सत्यापित फोटो आई.डी. प्रमाण (पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी.) एवं दो मूल फोटो।
   - विवाहोपरान्त सरनेम परिवर्तन की दशा में रू.100 / –के स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित **मूल शपथपत्र**।

2. छात्र के नाम में परिवर्तन की शर्ते निम्नानुसार है :–
   - छात्र के नाम में परिवर्तन तभी किया जावेगा जब अन्य प्रविष्ठियाँ यथा माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि का मिलान हो।
   - प्रस्तावित सही नाम के छात्र की अन्य प्रविष्टियों में, वर्तमान एवं भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
   - नाम में परिवर्तन का शुल्क रू.1000 / –प्रति अंकसूची बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय है।
   - डी.सी.ए. तथा स्नातक पाठ्यक्रमों की अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु हायर सेकण्डरी (10+2) की अंकसूची एवं पी.जी.डी.सी.ए. तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु स्नातक की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है, जमा करना आवश्यक है।

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 (म.प्र.) फोन: (0755) 2551642, फैक्स: (0755) ...
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal-462011 (M.P.), Phone: (0755)2551642, Fax: ...

- छात्र को रू.100/–के स्टॉप पेपर पर नोटराईज्ड **मूल शपथ पत्र** देना होगा जिसमें उल्लेखित हो कि छात्र द्वारा संबंधित अध्ययन संस्था में प्रवेश लिया गया है तथा भविष्य में नाम परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए छात्र स्वंय जिम्मेदार होगा।
- भारत का राजपत्र **(The Gazetta of India)** में प्रकाशित/सूचित होने का प्रमाण (राजपत्र की प्रति)।

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों (UTD) के छात्रों के नामांकन फार्म में यदि त्रुटि होती है तो नामांकन के पश्चात संबंधित विभागों द्वारा समस्त प्रविष्ठियों को एक सप्ताह तक नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ठीक किया जायेगा एवं इसके लिये कोई शुल्क देय नहीं होगा। यह दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। एक सप्ताह पश्चात त्रुटि सुधार संबंधी आवेदन पर रू.500/–प्रति अंकसूची की दर से विद्यार्थी को देना होगा।

4. अध्ययन संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन फार्म ऑनलाइन से भरे जाते हैं अतएव, किसी भी तरह की त्रुटि होने पर त्रुटि सुधार शुल्क अध्ययन संस्था को वहन करना होगा। वे इसे विद्यार्थियों से वसूल नहीं कर सकेंगे।

5. यह संशोधित नियम इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

पृष्ठांकन/नामांकन/2020/क्रमांक......12 भोपाल, दिनांक 07/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक,ए.एस.आई. मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
3. समस्त परिसर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
7. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 (म.प्र.), फोन: (0755) 2551642, फैक्स: (0755) ...
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal -462011 (M.P.), Phone: (0755)2551642, Fax: (0755) ...

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legistative Assembly)

क्रमांक / नामांकन / 2019 / 755 भोपाल दिनांक 08 / 08 / 2019

सूचना

(NAD ID आई.डी. से संबधित)

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्रों एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के सत्र जुलाई 2019 के लिये ऑनलाईन नामांकन फार्म भरे जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक / 2048 / नामांकन / 2019 दिनांक 26 जुलाई 2019 जारी की गई है जिसके तहत दिनांक 01 / 08 / 2019 से 31 / 08 / 2019 तक एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल खोला गया है।

ऑनलाईन नामांकन फार्म में **NAD** आई.डी. की प्रविष्ठि (वैकल्पिक) की जाना है। समस्त को सूचित किया जाता है कि https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html लिंक पर जाकर **NAD** आई.डी. जनरेट किया जा सकता है।

8/8

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक